न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, किशनगंज।

उपस्थितः– सुरेश कुमार सिंह – II

निर्णय की तिथिः– 26.05.2026

सत्र वाद संख्या– 783/2013

C.I.S No.- 1600/2013

प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या– 52/2005 थाना– पोठिया (पहाड़कट्टा), जिला– किशनगंज।

सूचिका – Xyz, पिता– Abc, साकिन– नयाबस्ती आठियाबाड़ी, थाना– पहाड़कट्टा, जिला– किशनगंज। .....अभियोजन।

द्वारा प्रस्तुति– श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः–	1. संजीलर मुर्मू एवं 2. मंजु पोरिया।
द्वारा प्रस्तुति–	विद्वान अधिवक्ताः– श्री इम्तियाज अली।

अपराध की तारीखः–	26.03.2005
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः–	22.05.2005
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः–	06.10.2006
आरोप गठन की तिथिः–	17.07.2013
धारा–313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः–	01.05.2023
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः–	19.05.2026
निर्णय की तिथिः–	26.05.2026
दण्डादेश की तिथिः–	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. संजीलर मुर्मू, पिता– मताला मुर्मू, साकिन– सातमेढ़ी, थाना– पहाड़कट्टा, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	17.10.2008
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	27.05.2009
चार्जः–	U/S- 376/34 of IPC.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-2
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. मंजु पोरिया, पिता– मंनाल पोरिया, साकिन–

	अठियावाड़ी, थाना– पहाड़कट्टा, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	10.12.2012
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	19.08.2013
चार्जः–	U/S- 376/34 of IPC.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	खोगन हेम्ब्रम	अन्य साक्षी
P.W- 2	सीता टुडू	अन्य साक्षी
P.W- 3	डा0 उर्मिला कुमारी	चिकित्सक साक्षी
P.W- 4	Xyz (Victim)	सूचिका सह पीड़िता साक्षी
P.W- 5	सुपल हसदा	अन्य साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–</u>

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
01	प्रदर्श– 01	मेडिकल रिपोर्ट।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त अभियुक्तगण संजीलर मुर्मू एवं मंजु पोरिया के विरूद्ध धारा 376/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग किए।

2. सूचिका द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकरी, किशनगंज के न्यायालय मे दिये गये परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन का केस यह है कि सूचिका दिनांक 26.03.2005 को सुबह अपनी बहन से मिलने गई थी । वहां होली खेल कर वापस करीब 10.00 बजे घर आ रही थी तो इन्हें पीछे से आकर मंजु पोरिया पकड़ लिया तथा इनके साथ संभोग करने के लिए पकड़ कर खींचने लगा जब इसने हल्ला करना चाही तो अभियुक्त संजीलर मुर्मू भी इन्हें पकड़ लिया और दोनो मिलकर इनका मुंह गमछा से बांध दिया और उठाकर बगल वाले घर मे अन्दर ले जाकर जमीन पर पटक लिया और अभियुक्त मंजु पोरिया बलात्कार करने लगा और अभियुक्त संजीलर मुर्मू आंगन मे खड़ा होकर पहरा देने लगा। अभियुक्त मंजु पोरिया द्वारा बलात्कार करने के कम मे इनके गुप्तांग मे काफी दर्द होने लगा और गुप्तांग से खून बहने लगा। उसके बाद पीड़िता चिल्लाने लगी तो दोनो अभियुक्त भागने लगा। भागने के कम में अभियुक्त मंजु पोरिया फिसल कर गिर गया एवं अभियुक्त संजीलर मुर्मू भागने मे सफल हो गया। उसके बाद गवाहन द्वारा अभियुक्त मंजु पोरिया को पकड़ लिया गया। उसके बाद अभियुक्त संजु पोरिया ने अपना दोष स्वीकार करते हुए शादी करने का वचन दिया तथा कुछ समय की मांग किया। समय बीत जाने के बाद अभियुक्त मंजु पोरिया ने पीड़िता से शादी करने से इन्कार कर दिया। उसके पश्चात् सूचिका द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय मे दाखिल परिवाद पत्र के आदेशानुसार पहाड़कट्टा थाना कांड संख्या– 52/2005 अन्तर्गत धारा 376/34 भा0द0वि0 में दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 376/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 182/2006 दिनांक 06.10.2006 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरीत किया गया। दिनांक 17.07.2013 को इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण संजीलर मुर्मू एवं मंजु पोरिया के विरूद्ध धारा 376/34 भा0द0वि0 में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 05 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 खोगेन हम्ब्रम, अभियोजन साक्षी संख्या 02 सीता टुडू, अभियोजन साक्षी संख्या 03 डा0 उर्मिला कुमारी, अभियोजन साक्षी संख्या 04 सूचिका सह पीड़िता एवं अभियोजन साक्षी संख्या 05 सुपल हसदा हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श– 01 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किये तथा अपने को निर्दोष बताये।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 05 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले की सूचिका सह पीडिता के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 Xyz सूचिका सह पीड़िता हैं इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि घटना का दिनांक नहीं बता सकते है परन्तु वर्ष 2005 का समय दस बजे दिन का था। पीड़िता अपनी बहन के घर गयी थी तथा उस दिन घर वापस आ रही थी तो मंजु पोरिया एवं संजीलर मुर्मू घर के पास रास्ता मे इन्हें पकड़े लिये थे। वे लोग इनका मुंह गमछा से बांध दिया तथा इनको जबरदस्ती उठाकर मंजु पोरिया के घर मे ल जाकर पटक दिया एवं मंजु पोरिया इनके साथ बलात्कार करने लगा तथा संजीलर मुर्मू आंगन मे पहरा देने लगा। उसके बाद इनके पेट मे दर्द होने लगा तथा पेशाब के रास्ता से खून आने लगा। किसी तरह गमछा हटाकर चिल्लाई तो गांव के लोग आये तब वे दोनो भागे उसी क्रम में मंजु पोरिया आंगन मे गिर गया तो गांव वाले उसको पकडे थे। मंजु पोरिया अपना दोष स्वीकार किया था तथा शादी करने का वचन दिया था। उसके बाद शादी करने से इन्कार कर दिया तब यह केस हुआ। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि इनका बयान पुलिस मे हुआ था। पंचायती मे शादी करने से इन्कार कर दिया तब इन्होंने केस किया था। मंजु पोरिया कोर्ट मे शादी नहीं किया था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य मे काफी विरोधाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 01 खोगने हम्ब्रम है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घ टना आज से नौ साल पहले होली का दिन था। मंजु पोरिया एवं संजीलर मुर्मू दोनो मिलकर पीड़िता को उठाकर एक रूम मे ले गया उसके साथ मंजु पोरिया बलात्कार किया। पीड़िता के पेशाब के रास्ते से खून जाने लगा। उसके बाद हल्ला पर गांव वाले आये और मंजु पोरिया को पकड़ लिया। उसके बाद मंजु पोरिया ने कहा कि पीड़िता से शादी कर लेंगे लेकिन मंजु पोरिया ने पीड़िता से शादी नहीं किया। पीड़िता के गर्भ रह गया था जिसने एक लड़के को जन्म दिया वह साढ़े आठ साल का है। पुलिस को इन्होने यही बयान दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान इन्होंने कहा है कि इनकी बेटी की शादी नहीं हुई है वह घर पर है। घटना का तारीख, महीना एवं साल नहीं बता सकते है। इनके घर से घटना स्थल आधा किलोमीटर है। घ टना की सूचना इन्हें गांव का आदमी ने दिया था। इनकी बेटी का साड़ी, साया खून से भरा था। इन्होंने

अपनी बेटी का अस्पताल नहीं लेकर गया था। इन्होंने अपनी बेटी का कोई ईलाज नहीं करवाया था। पंचायती को दिन, महिना, साल नहीं कह सकते है। इनको घटना स्थल की चौहद्दी याद नहीं है। दो महिना बाद इनकी बेटी ने कोर्ट मे कस किया था। इन्होंने इस केस मे पहली बार बयान दिये है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 02 सीता टुडू है इन्होने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना वर्ष 2005 की सात वर्ष पूर्व की समय 10 बजे होली का दिन था। इनकी बेटी अपनी बहन के घर होली खेलने गयी थी। जब इनकी बेटी अपने घर आ रही थी तो मंजु पोरिया एवं संजीलर मुर्मू इनकी बेटी का मुंह गमछा से बांधकर अपने घर ले जाकर मंजु पोरिया बलात्कार किया जिससे इनकी बेटी के गुप्तांग से खून बहने लगा। इनकी बेटी हल्ला की तो दोनो भागने लगा। बस्ती वाला अभियुक्त को पकड़ा तथा रात मे पंचायती हुआ जिसमे अभियुक्त ने पीड़िता से शादी करने के लिए राजी हो गया तथा बाद मे शादी करने से इन्कार कर दिया। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी को प्रतिपरीक्षण करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुये जिस कारण से साक्षी को उन्मोचित किया गया।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 03 डा0 उर्मिला कुमारी है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कही है कि On 06.12.2005 I was posted at Sadar Hospital, Kishanganj as Same Post. On same day. I examined Bharti Hembram, D/o- Khagen Hembram of Village- Athiya bari, PS- Paharkatta, Distt- Kishanganj admitted in female ward Reg. No.- 648 dated 06.12.2005 referred by Pothia (Paharkatta) PS case No.- 52/2005 dated 22.05.2005. Her findings are as following.

Hight 4'8", Weight- 40 Kg. Clothings Sari Pink, Blouse Pink, Petikote Khakji. No any stain mark found.

M/I- A till in front of neck. Mark of external violence nil. internal violence nil breast well deveoped.

Opinion- There is no evidence found about recent sexual inter course. आगे इन्होंने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर मे है जिसे पहचान किये है। मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श– 01 अंकित किया गया है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 05 सुपल हसदा है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घ ाटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। इस साक्षी ने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि नोटिस मिलने पर गवाही दिये है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियोजन साक्षी संख्या 05 मे अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। चिकित्सक ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। इस मामले मे अनुसंधानकर्ता की गवाही कराने मे अभियोजन विफल रहे है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

16. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 05 सुपल हसदा है इन्होंने साक्ष्य के दौरान अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है जिस बजह से अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित

किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या 04 Xyz (सूचिका सह पीडिता) है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि ये कभी मंजु पोरिया के साथ नहीं रही है। शादी से इन्कार करने पर यह केस इनके द्वारा किया गया था। अभियोजन साक्षी संख्या 03 डा0 उर्मिला कुमारी है इन्होंने साक्ष्य के दौरान अपने मंतव्य मे कहा है कि There is no evidence found about recent sexual intercourse. अभियोजन साक्षी संख्या 02 सीता टुडू है इन्होने साक्ष्य के दौरान ही घटना का समर्थन किये है, लेकिन इस वाद मे अनुसंधानकर्ता की गवाही अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है तथा चिकित्सीय जॉच मे Recent sexual intercouse आया है। इसलिए इनके साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 खागेन हेम्ब्रम है इन्होंने साक्ष्य के दौरान घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि मंजु पोरिया ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। जब हल्ला हुआ तक गांव वाले आये तथा मंजु पोरिया ने शादी करने के लिए तैयार हो गया। आगे प्रतिपरीक्षण के दौरान इन्होंने कहा है कि इनको घ ाटना की तिथि, महिना, साल याद नहीं है। इनको सूचना गांव का आदमी दिया था जिनका नाम याद नहीं है। घटना के दो महीना बाद केस किये थे। इन्होने अपनी बेटी का कहीं भी ईलाज नहीं करवाया था और न ही ईलाज लेकर गया था। इस वाद में आरोप पत्र मे नामित शेष बचे साक्षियों की गवाही हेतु न्यायालय द्वारा सारी प्रकियाएँ भेजी जा चुकी है तथा अभियोजन को भी अंतिम अवसर दिया जा चुका है फिर भी अभियोजन शेष बचे साक्षियों (अनुसंधानकर्ता) की गवाही कराने मे विफल रहे है। जिन साक्षियों को अभियोजन ने प्रस्तुत किया है उनके साक्ष्य में विरोधाभाष है। स्वयं पीड़िता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि शादी से इन्कार करने पर यह केस किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

17. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण संजीलर मुर्मू एवं मंजु पोरिय के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376/34 भा0द0वि0 को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

अभियुक्तगण संजीलर मुर्मू एवं मंजु पोरिय के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 376/34 भा0द0वि0 से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण कारा मे निरूद्ध है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उनके मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करें।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
किशनगंज
दिनांकः– 26.05.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
किशनगंज
दिनांकः– 26.05.2026

Date of Judgment/Order	26-05-2026
Date of reserving judgment/order	19-05-2026
Uploading Date	31-07-2026
Uploaded by	Deposition Writer